सुशील कुमार
उप मुख्यमंत्री

नीतिश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

डॉ0 प्रेम कुमार
विभागीय मंत्री

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर क्षेत्र में अवस्थित मकान मालिकों के लिए सुअवसर

अग्रिम होल्डिंग टैक्स भुगतान करने पर 15% छूट।

समय पर भुगतान नहीं करने पर बकाया होल्डिंग टैक्स पर पर 2% मासिक दण्ड।

होल्डिंग टैक्स क्या है?

नगर निकायों द्वारा जो नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है, उसके लिए शहरी क्षेत्र में स्थित मकानों के मकान मालिकों को सालाना होल्डिंग टैक्स देना अनिवार्य है। होल्डिंग टैक्स दो छमाही में:– 1 अप्रील से 30 सितम्बर एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक देय होता है।

अग्रिम भुगतान:–

चालू वित्तीय वर्ष का 30 जून तक अथवा आने वाले वित्तीय वर्षों का अग्रिम होल्डिंग टैक्स देने पर 15 प्रतिशत छूट स्वतः मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान उसे ही माना जायेगा जब 30 जून तक उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

कोई विलंब दण्ड नही:–

- 1 अप्रैल से 30 सितम्बर का होल्डिंग टैक्स 31 दिसम्बर तक देने में कोई दण्ड नहीं।
- 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का होल्डिंग टैक्स 30 जून तक देने में कोई दण्ड नहीं।

- अग्रिम होल्डिंग टैक्स शीघ्र जमा करें।

15 प्रतिशत का लाभ लें, तथा 2 प्रतिशत मासिक दण्ड से बचें।

होल्डिंग टैक्स भुगतान करें हम आप की सेवा के लिए तत्पर है।

2 प्रतिशत विलंब दण्ड:–

उक्त निर्धारित तिथि के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने पर प्रतिमाह 2 प्रतिशत का दण्ड वसूलनीय है। 2 प्रतिशत का मासिक दण्ड सभी बकाया राशि पर लिया जायेगा।

कठिनाई की स्थिति में संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।